



राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

प्रलिस के लयः

मानव तसकरी, जाली मुद्रा या बैंक नोट, साइबर-आतंकवाद, NIA, सूचीबद्ध अपराध, आतंकवाद, LWE, उग्रवाद, कट्टरता, NIA अधनियम 2008

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसका कार्य और क्षेत्राधिकार, कट्टरता- मुद्रा, चुनौतियाँ, समाधान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency- NIA)** ने दो लोगों के खिलाफ एक **प्राथमिकी/प्रथम सूचना रिपोर्ट** दर्ज की है, जिन्हें कथित रूप से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में गरिफ्तार किया गया था।

- NIA ने दो लोगों पर भारतीय दंड संहिता की वभिन्न धाराओं और **गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधनियम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967** के तहत आरोप लगाए हैं।

नोट: **कट्टरता** वह प्रकरिया है जिसके द्वारा एक व्यक्तिया समूह **चरम विश्वासों और वचिारधाराओं को अपनाता है जो मुख्यधारा के समाज के मूल्यों, मानदंडों एवं कानूनों को अस्वीकार या वशिध करते हैं।** इसमें प्रायः प्रचार, प्रेरक बयानबाज़ी तथा प्रेरक व्यक्तियों या समूहों का जोखिम शामिल होता है जो चरमपंथी वचिारों व वचिारधाराओं को बढ़ावा देते हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण:

- **परचिय:**
 - NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो **आतंकवाद, उग्रवाद** और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़िम्मेदार है।
 - किसी देश में संघीय एजेंसियों के पास वशिष रूप से उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, न कि केवल अलग-अलग राज्यों या प्रांतों से संबंधित होते हैं।
 - **वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों** के बाद **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008** के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधनियम, 2008 में बदलाव करते हुए **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधनियम, 2019** को जुलाई 2019 में पारित किया गया था।
 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच करने की शक्ति है। इसके पास **राज्य सरकारों से पूर्व अनुमतप्राप्त कयि बना राज्य की सीमाओं के मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है।**
- **कार्य:**
 - आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित **खुफिया सूचनाओं का संग्रह, वशि्लेषण और प्रसार करना।**
 - **आतंकवाद** और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में भारत एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
 - **कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हतिधारकों के लयि क्षमता नरिमाण कार्यक्रम आयोजित करना।**
- **जाँच क्षेत्र:**
 - NIA के जाँच के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। NIA अधनियम, 2008 की धारा 6 के तहतराज्य सरकार **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जाँच के लयि केंद्र सरकार को सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों का उल्लेख कर सकती है।**

- केंद्र सरकार NIA को अपने हिसाब से भारत के भीतर अथवा वदेश में किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करने का नरिदेश दे सकती है।
- UAPA तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी को **केंद्र सरकार की मंजूरी** लेनी होती है।
- **वामपंथी उग्रवाद (LWE)** के आतंकी वतितपोषण से संबंधित मामलों से नपिटने के लिये एक विशेष प्रकोषट है। किसी सूचीबद्ध अपराध की जाँच के दौरान NIA उससे जुड़े किसी अन्य अपराध की भी जाँच कर सकती है। अंत में जाँच के बाद मामलों को NIA की विशेष अदालत के समकष प्रस्तुत कया जाता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (संशोधन) अधनियिम, 2019 के तहत कयि गए परविरतन:

- **भारत के बाहर अपराध:**
 - NIA के पास मूल रूप से भारत के भीतर अपराधों की जाँच करने की शकती थी, लेकनि संशोधति अधनियिमम्वइसे **भारत के बाहर कयि गए अपराधों की जाँच करने** की अनुमति देता है, जब तक कयिह **अंतरराष्ट्रीय संधयिों और शामलि देशों के कानूनों का** पालन करता है।
 - केंद्र सरकार का मानना है कअगर कोई अपराध भारत के बाहर कया गया है, लेकनि **अधनियिम के अधकिार कषेत्र** में आता है, तो वह NIA को मामले की जाँच करने का नरिदेश दे सकती है।
- **कानून का वसित्तुत दायरा:**
 - **NIA अधनियिम की अनुसूची** में सूचीबद्ध अपराधों की जाँच NIA कर सकती है।
 - अनुसूची में मूल रूप से **परमाणु ऊर्जा अधनियिम, 1962**, गैरकानूनी गतविधियिों (रोकथाम) अधनियिम, 1967 और अपहरण-रोधी अधनियिम, 1982 जैसे अधनियिम शामलि थे।
 - संशोधन के साथ NIA अब इससे संबंधति मामलों की भी जाँच कर सकती है:
 - **मानव तसकरी**
 - **नकली मुद्रा या बैंक नोट**
 - नषिदिध हथयार
 - **साइबर आतंकवाद**
 - वसिफोटक पदारथ अधनियिम, 1908 के तहत अपराध
- **वशिष न्यायालय:**
 - अधनियिम, 2008 ने **अधनियिम के तहत** मामलों की सुनवाई के लिये वशिष न्यायालयों की स्थापना की।
 - वर्ष 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को **अधनियिम के तहत सूचीबद्ध अपराधों** की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामति करने की अनुमति देता है।
 - ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को संबंधति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामरश करना होगा। यदएक कषेत्र में कई वशिष न्यायालय मौजूद हैं, तो **मामले को सबसे वरषिठ न्यायाधीश द्वारा साँपा जाएगा**।
 - राज्य सरकारें सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये सत्र न्यायालयों को वशिष न्यायालयों के रूप में नामति कर सकती हैं।

सूचीबद्ध अपराध:

- अधनियिम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची नरिदषिट करती है जनिकी जाँच के साथ ही NIA द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- सूची में शामलि हैं:
 - **वसिफोटक पदारथ अधनियिम**
 - **परमाणु ऊर्जा अधनियिम**
 - **गैर-कानूनी गतविधियिों (रोकथाम) अधनियिम**
 - **अपहरण वरिधी अधनियिम**
 - **नागरकि उड्डयन अधनियिम की सुरकषा के खलिाफ गैर-कानूनी अधनियिमों का दमन**
 - **सारक अभसिमय (आतंकवाद का दमन) अधनियिम**
 - **महाद्वीपीय शेलफ अधनियिम पर समुद्री नेवगिशन और नशिचति प्लेटफॉर्मों की सुरकषा के खलिाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन**
 - **सामूहकि वनिाश के हथयार और उनकी आपूरता पिरणाली (गैर-कानूनी गतविधियिों नषिध) अधनियिम**
 - **भारतीय दंड संहति, शसत्र अधनियिम और सूचना परौदयोगकि अधनियिम के तहत कोई अन्य परासंगकि अपराध।**
 - **नारकोटकि ड्रगस एंड साइकोट्रोपकि सबसटेंस एकट**

स्रोत: इंडयिन एकसपरेस